

<p>सतर्कता महानिदेशालय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क पूर्वी क्षेत्रीय इकाई, केन्द्रीय राजस्व भवन बम्बू विला (चतुर्थ मंजिल) 169, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता – 700 014 टेलिफोन संख्या : 033 - 22866918 टेलिफैक्स : 033 - 22866929, 22866932</p>	 <p>भारत सरकार Government of India</p>	<p>Directorate General of Vigilance Indirect Taxes and Customs East Zonal Unit, C.R. Building Bamboo Villa (4th Floor) 169, A.J.C. Bose Road, Kolkata – 700 014 Telephone number : 033 - 22866918 Tel Fax : 033 - 22866929, 22866932 E-mail id : dgvig.ezu@gov.in</p>
--	---	--

दिनांक: 30.03.2021

सेवा में

सीजीएसटी व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त (सभी)

Pr. Chief Commissioner/Chief Commissioner of CGST & Central Excise (All).

महोदय/महोदया/Sir/Madam,

विषय: स्थापना – पूर्वी क्षेत्रीय इकाई में प्रतिनियुक्ति के लिए इच्छा – बाबत.**Sub: Estt. – Willingness for appointment on Deputation in the DG Vigilance, EZU – reg.**

<><><><><>

निम्नलिखित ग्रेड में इच्छुक और उपयुक्त अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करके प्रत्याशित रिक्ति को भरने का प्रस्ताव है:

It is proposed to fill up anticipated vacancy by appointing willing and suitable officer in the following grade on deputation basis:

क्र.सं. Sl. No.	पदनाम Designation	वेतन मेट्रिक्स में स्तर Level in pay Matrix	पदों की संख्या No. of Post
1	सीजीएसटी व सीएक्स के अधीक्षक Superintendent of CGST & CX	स्तर 8 व उससे ऊपर Level 8 & above	01

2. अतः दिये गए पद को सीजीएसटी व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों के गठन में समान पद वाले अधिकारी के बीच प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। प्रतिनियुक्ति प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए है और संबन्धित प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है।

Applications are therefore invited from amongst the officers holding analogous posts in the formations of CGST & Central Excise Departments. The deputation is initially for a period of three years and can be extended at the discretion of concerned authority.

3. यह अनुरोध किया जाता है की पात्र अधिकारी की इच्छा को संलग्न बायो-डेटा के साथ साथ संबन्धित कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा पिछले पाँच वर्षों की अपार ग्राडिंग्स, सतर्कता निकासी, ईमानदारी प्रमाण पात्र एवं 'आपत्ति प्रमाण पत्र' सहित 30.04.2021 तक चयन हेतु भेज दिया जाए यदि उनका चयन हो तो। यह भी जानकारी में लाया जाता है की एक बार चयन हो जाने पर अधिकारी अपनी इच्छा वापस नहीं ले सकते। चयनित अधिकारी लागू प्रतिनियुक्ति भत्ता के हकदार हैं।

It is requested that the willingness of the eligible officers may be forwarded to this Zonal Unit with their Bio-data in the proforma enclosed along with their APAR gradings for last five years along with Vigilance Clearance and Integrity Certificate and 'No Objection Certificate (NOC)' of the concerned Cadre Controlling Authority to relieve the officer in the event of his/her selection, latest by **30.04.2021**. It may also be brought to the notice of the willing officers that once selected, withdrawal of willingness is not permitted. The officer selected will be entitled for applicable deputation allowance.

अपर महानिदेशक (स०), ईजेडयू, कोलकाता के अनुमोदन से जारी।

This issues with the approval of the ADG (Vig), EZU, Kolkata.

भवदीय/Yours faithfully,

संलग्नक/Encl: यथोपरि/As above.

(संजय प्रसाद/Sanjay Prasad)

संयुक्त आयुक्त (स०)/Joint Commissioner (Vig)

प्रतिलिपि/Copy to:

1. Pr. Director General, DGOV, New Delhi, for kind information.

2. Web Master, Directorate of Systems, New Delhi, for uploading in the CBEC website.